Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **परिवहन विभाग के कर संग्रहण केन्द्र शाहजंहापुर, जिला अलवर पर एसीबी की कार्यवाही, अवैध रूप से वसूली करते परिवहन निरीक्षक उसके दो दलालों सहित 7 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार**
- **मौके पर अवैध रूप से वसूल की गई 3 लाख रुपये से अधिक की राशि बरामद, एक दलाल के निवास से करीब 9 लाख रुपये की नगदी बरामद**
- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *10 अप्रेल।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर कोटा शहर तथा अलवर इकाई द्वारा आज गुरूवार को शाहजहांपुर, अलवर में परिवहन विभाग के कर संग्रहण केन्द्र पर संयुक्त रूप से छापेमारी करते हुये रविन्द्र सिंह भाटी परिवहन निरीक्षक, उसके दलाल रविन्द्र सिंह चौहान, लीलाराम व गजेन्द्र सिंह सहित 7 व्यक्तियों को लाखों रुपये की अवैध रूप से वसूल की गई राशि के साथ गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. को शाहजंहापुर नाके पर ट्रक ड्राईवरों सें अवैध वसूली किये जाने बाबत सूचना प्राप्त होने पर एसीबी के अधिकारियों द्वारा लगातार निगरानी की जा रही थी।

एसीबी कोटा के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ठाकुर चन्द्रशील कुमार** एवं अलवर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजय सिंह** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा सूत्र सूचना का सत्यापन कई बार किया गया। सूत्र सूचना की पुष्टि होने पर आज दिनांक 10–04–2022 को एसीबी टीमों द्वारा अलसुबह शाहजहांपुर नाके पर ट्रेप की कार्यवाही की गई। दौराने कार्यवाही ट्रक चालकों से अवैध वसूली करते हुये चैक पोस्ट पर प्राईवेट व्यक्ति गजेन्द्र सिह को रंगे हाथों पकडा गया तथा अवैध वसूल की गई रकम को रखने के संभावित स्थानों की तलाशी ली गई, जिसमें चैक पोस्ट पर ट्रक ड्राईवरों से वसूल की गई। मौके से डिटेनशुदा निरीक्षक रविन्द्र सिंह भाटी एवं अन्य कार्मिकों, संविदाकर्मी तथा प्राईवेट कर्मियों के कब्जे सें अवैध वसूली गई कुल रकम करीबन 84,000 रूपये बरामद की गई है। इसी क्रम में चैक पोस्ट के पास बनी केबिन में मौजूद दलाल रविन्द्र सिंह चौहान के कब्जे से अवैध रूप से वसूली गई राशि करीब 2,06,000/– रूपये बरामद किये गये तथा परिवहन विभाग के अवैध वसूली से संबंधित दस्तावेज प्राप्त बरामद हुये। दलाल रविन्द्र सिंह चौहान के चौबारा गांव स्थित घर के बेडरूम की तलाशी में अलमारी से करीब 8,85,000/–रुपये एवं परिवहन विभाग के अवैध वसूली से संबंधित दस्तावेज बरामद हुये हैं। मौके पर रविन्द्र सिंह भाटी, परिवहन निरीक्षक तथा दलाल रविन्द्र सिंह चौहान, लीलाराम, गजेन्द्र सिंह, विक्रम सिंह एवं लोकेश गार्ड, कैलाश गार्ड कुल 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है तथा सभी से पूछताछ की जा रही है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ एवं तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।